

## जयपुर विकास प्राधिकरण

स्टेंडिंग सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक जारिता/जनतापर्क/2023/वी.पी.131

दिनांक : 13.07.2023

## आम सूचना

निम्न योजनाओं के आधेदकों सारा अपनी सम्पत्ति को पहले/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट, [www.jda.rajasthan.gov.in](http://www.jda.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संग्रह में आपत्ति/सूचना यह हो सकता है कि जोन 7 (सामाजिक) विवरण में यथा दरसाये गए विवरण उपलब्ध करें।

| क्र. सं. | जोन | भूक्षण संख्या /आवास संख्या  | गृ.नि.स.स.लि./योजना का नाम   | आवेदक  |
|----------|-----|---|--|--|
| 1        | 11  | 70  | शिव विहार योजना, निजी खातेदारी लीजडीड से प्रीलोड हेतु                        | श्री पीरुप गुप्ता पुत्र रम. श्री रमेश चंद्र गुप्ता           |
| 2        | 06  | 09  | ग्राम महापुरा एवं मुकुरखेड़ा खारारा नम्बर 62, 53, निजी खातेदारी, लीजडीड हेतु | श्रीमती पुरुषा धीदार पत्नी श्री प्रेमप्रकाश धीदार            |
| 3        | 06  | 68५   | सैन्द्रल कॉलोनी फैज-प्रधान योजना, धोपडानामेश गृ.नि.स.स., लीजडीड हेतु         | श्रीमती गुलाब देवी जांगिड पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड |
| 4        | 09  | 1, 26, 27   | पंचवटी योजना, निजी खातेदारी, लीजडीड हेतु                                     | श्रीमती कल्पना वर्गड़ा पत्नी रम. श्री गहेश प्रकाश वर्गड़ा    |
| 5        | 09  | 39  | पिकरिटी योजना, निजी खातेदारी, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु                     | श्री सुनील गोहानोत पुत्र श्री पदम चंद्र गुनोत                |
| 6        | 09  | 120   | बैंक आपिसर्स थैम्परा वी ब्लॉक योजना, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु              | श्रीमती केसर देवी, अनिता मीना एवं पाराहेत मीना               |
| 7        | 09  | 147   | अरोक विहार योजना, शिव चंकप्र हाँ.को.सो.लि., लीजडीड हेतु                      | श्रीमती सुशीला बाहेटी पत्नी श्री काहेयालाल बाहेटी            |
| 8        | 09  | 607   | निलय सूज योजना, जविप्रा, लीजडीड हेतु   | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभु लाल शर्मा         |
| 9        | 14  | ए-245   | बरसावाला योजना, जविप्रा, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु                          | श्री मोहन लाल शोभी पुत्र रम. श्री भूलद्धन शोभी               |
| 10       | 14  | जी-8  | बरसावाला योजना, जविप्रा, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु                          | श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री अब्दुल जी                        |
| 11       | 03  | ई-282   | लालकोटी योजना, जविप्रा, नाम हस्तान्तरण हेतु                                  | श्री किशन लाल यादव पुत्र रम. श्री बरसावाला लाल यादव          |
| 12       | 06  | 1/5, 2/5, 1/4, 2/4, 2/1, 3/1, 3/4, 3/5, 12, 13, 16, 16ए, 17, 18, 19, 22, 23वी, 28ए, 24र, 25, 25ए, 26ए, 13, 27ए, 28स, 28र, 28, 21र, 31, 32, 33, 34, 36, 35, 36ए, 37ए, 37वी, 38, 39, 39ए, 39वी, 40, 40ए, 40वी, 41, 41ए, 41वी, | शंकर भवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना महादेव नगर के भूखंडवारियों की सूची           |  |

## लोक सूचना

| क्र. सं. | जोन | भू.सं./क्रमसं.नं.    | ग्राम का नाम  | खातेदार                        |
|----------|-----|----------------------|---|--------------------------------|
| 1        | 11  | 3022/537<br>3024/539 | ग्राम मुहुराना, सांगोनर, जयपुर में भूमि का व्यावसायिक प्रयोजन के उपयोग हेतु | श्री शंकरलाल पुत्र श्री छठालाल |

## सार्वजनिक नोटिस

दिनांक : 13.07.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर घोड़ी जोनल प्लान सङ्क (PZ-09/60/2/P7) से प्रभावित भूमि राजसर ग्राम गंदार ब्राह्मण तहसील सांगोनर के खसरा नम्बर 839 रक्का 0.87 हेक्ट. सम्पूर्ण में खातेदार श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण शर्मा दिस्ता 7223/36250, श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा हिस्ता 3/50, श्रीमती सावित्री शर्मा पुत्री श्री जगदीश नारायण शर्मा दिस्ता 3/50 एवं ख.नं. 840 रक्का 0.63 हेक्ट. में से 4185.00 व.मी. खातेदार श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण शर्मा हिस्ता 80653/630000, श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा हिस्ता 73/900, श्रीमती सावित्री शर्मा पुत्री श्री जगदीश नारायण शर्मा हिस्ता 73/900 को खातेदारों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षेत्रपूर्वि बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजानों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में यथा समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-14/2023/वी-1592

## सार्वजनिक नोटिस

दिनांक : 13.07.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर घोड़ी रोडर सङ्क (डिग्री रोड़ से टॉक रोड़ को जोड़ने वाली) में आ रही भूमि ग्राम रामरिंहपुरा तहसील सांगोनर के ख.नं. 2545/2184 रक्का 0.61 हेक्ट. में खातेदार गुलला, श्योरी पुत्रान श्री गंगाराम, एवं भंवरलाल, गोपाल, रामकूल, औग्रामा युत्रान श्री राम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षेत्रपूर्वि बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजानों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में यथा समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-14/2023/वी-1593

## सार्वजनिक नोटिस

दिनांक : 13.07.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट घोड़ी जोनल प्लान सङ्क (डिग्री रोड़ से टॉक रोड़ को जोड़ने वाली) में आ रही भूमि ग्राम रामरिंहपुरा तहसील सांगोनर के ख.नं. 2545/2184 रक्का 0.61 हेक्ट. में खातेदार गुलला, श्योरी पुत्रान श्री गंगाराम, एवं भंवरलाल, गोपाल, रामकूल, औग्रामा युत्रान श्री राम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षेत्रपूर्वि बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजानों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में यथा समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-14/2023/वी-1594

DNJ-5348

# जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक जाविप्रा/जनसंपर्क/2023/वी-वी-१५

## आम सूचना

दिनांक : 13.07.2023

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी साप्ताहिक रूपरेखा के पाटे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की पेबलाइट [WWW.Jda.urbancrajasthan.gov.in](http://WWW.Jda.urbancrajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/युक्ति याचिकाने से तो ७ (सात) विवर में याचिकाने सामिति उपलब्ध होना कार्यालय में प्रस्तुत करें।

| क्र. सं. | जोन | मूलपंज संख्या /आवास संख्या  | ग्राम का नाम/योजना का नाम   | आवेदक   |
|----------|-----|---|---|---|
| 1        | 11  | 70  | शिविहर योजना, निष्ठी खातेदारी लीजडीड से फ़ीजहोल्ड हेतु                      | श्री पीयूष गुप्ता पुत्र स्व. श्री रमेश चंद गुप्ता           |
| 2        | 06  | 09  | ग्राम यात्रा नाम सुकरखेड़ा खासरा नम्बर 82, 53, निष्ठी खातेदारी, लीजडीड हेतु | श्रीमती पुष्पा दीवार पल्ली श्री ब्रेग्प्रकाश पीदार          |
| 3        | 06  | 68५   | तोरेल्स कोलानी लोज-प्रथम योजना, लोपकानदेश निष्ठी रा.सा., लीजडीड हेतु        | श्रीमती गुलाब देवी जागिर फल्नी श्री राजेन्द्र ब्रह्मा जागिर |
| 4        | 09  | 1, 26, 27   | पंचवटी योजना, निष्ठी खातेदारी, लीजडीड हेतु                                  | श्रीमती कल्पना बाबूडा पल्ली रव. श्री महेश प्रकाश बगडा       |
| 5        | 09  | 39  | पिंकरिटी योजना, निष्ठी खातेदारी, नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ़ीजहोल्ड हेतु  | श्री सुरील मोहनेत पुत्र श्री पदम चंद मुगोत                  |
| 6        | 09  | 120   | वैक आफिरसर्स कैम्पस भी स्वीक योजना, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु              | श्रीमती केसर देवी, अनिता भीना एवं रामहेत मीना               |
| 7        | 09  | 147   | अशोक विहार योजना, शिव शंकर हाँ. को. रो.सि., लीजडीड हेतु                     | श्रीमती सुरीला बाहेती पल्ली श्री कर्हैयालाल बाहेती          |
| 8        | 09  | 607   | निलय सुंज योजना, जविप्रा, लीजहोल्ड से फ़ीजहोल्ड हेतु                        | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभु लाल शर्मा        |
| 9        | 14  | ए-245   | बरसावाला योजना, जविप्रा, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु                         | श्री मोहन लाल सोनी पुत्र स्व. श्री मूलवन्द सोनी             |
| 10       | 14  | जी-8  | बरसावाला योजना, जविप्रा, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु                         | श्री अद्वृल चंदी पुत्र श्री अद्वृल अजीज                     |
| 11       | 03  | ई-282   | लालकोटी योजना, जविप्रा, नाम हस्तान्तरण हेतु                                 | श्री किशन लाल यादव पुत्र रव. श्री बजरंग लाल यादव            |
| 12       | 06  | 1/5, 2/5, 1/4, 2/1, 3/1, 3/4, 3/5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23यी, 28य, 24ए, 25, 25ए, 26ए, 13, 27ए, 28ए, 28, 21अ, 31, 32, 33, 34, 36, 35, 36ए, 37ए, 37सी, 38, 39, 39यी, 40, 40ए, 40यी, 41, 41ए, 41यी, | जांकर खेन गु.नि.स.स.लि. की योजना महादेव नार के भूखण्डपारियों की सूची        |   |

## लोक सूचना

| क्र. सं. | जोन | मू.सं./खसा नं.     | ग्राम का नाम   | खातेदार                         |
|----------|-----|--------------------|--|---------------------------------|
| 1        | 11  | 3022/537, 3024/539 | ग्राम मुहाना, सांगानेर, जयपुर में भूमि का व्यावसायिक प्रयोजन के उपयोग हेतु | श्री शकरलाल पुत्र श्री चंद्रलाल |

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/वी-1580

## सार्वजनिक नोटिस

दिनांक : 13.07.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी 60 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सङ्केत (PZ-09/60/2/27) से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम गंदार ब्राह्मण तहसील सांगानेर के खातेदार नम्बर 839 रकमा 0.87 हैक्ट. सम्पूर्ण में खातेदार श्रीमती गीता देवी पल्ली श्री जगदीश नारायण शर्मा हिस्ता 7223/36250, श्रीमती अनिता शर्मा पल्ली श्री सुरेश शर्मा हिस्ता 3/50, श्रीमती सावित्री शर्मा पुत्री श्री जगदीश नारायण शर्मा हिस्ता 3/50 एवं ख.नं. 840 रकमा 0.63 हैक्ट. में से 4165.00 रु. श्री खातेदार श्रीमती गीता देवी पल्ली श्री जगदीश नारायण शर्मा हिस्ता 80653/630000, श्रीमती अनिता शर्मा पल्ली श्री सुरेश शर्मा हिस्ता 73/900 को खातेदारों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिषद्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पूर्ति भूमि शावृत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/रायानियत संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में याचिकाने संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निधारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-14/2023/वी-1592

## सार्वजनिक नोटिस

दिनांक : 13.07.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी 60 मीटर चौड़ी रोडर सड़क (डिगी रोड से टॉक रोड को जोड़ने वाली) में आ रही भूमि ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 3124/3485 रकमा 3.0346 हैक्ट. में से अदावा रकमा 14586 रु. श्री भूमि खातेदार श्रीपूर्ण चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल चौधरी हिस्ता 8837/15174 एवं लोकेंद्र चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल चौधरी हिस्ता 6337/15174 निवासी लाल नं. 1, मुख्य बाजार, ग्राम खुसर बालानी सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिषद्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पूर्ति भूमि शावृत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/रायानियत संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में याचिकाने संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निधारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-14/2023/वी-1593

## सार्वजनिक नोटिस

दिनांक : 13.07.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सङ्केत (डिगी रोड से टॉक रोड को जोड़ने वाली) में आ रही भूमि ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 2545/2184 रकमा 0.61 हैक्ट. में खातेदार गुलसा, श्योजी पुत्र गंगाराम, एवं भवरलाल, गोपाल, रामपूर, ओमाकाश पुत्रान् भी राधा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिषद्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पूर्ति भूमि शावृत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/रायानियत संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में याचिकाने संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निधारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

दाग.लगाती/23/5644

संचित

